स०स०–16 / एम.1–85 / 2025 –

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– **गोपालगंज जिला में कार्यरत नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।**

प्रसंगः– **वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/ 0640/2088(25) dated 27-12-2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 04 / 2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–301(आ०चि०), दिनांक–14.03.2024 द्वारा नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नही मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना स0–748(आ०चि०), दिनांक–19.07.2024 द्वारा नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल / सदर अस्पताल / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयो / आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक–1397(आ0चि0) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सको / फिजिशियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अविध को कतिपय शर्तो के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग के प्रासगिक पत्र के आलोक में जिन नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा (दिनांक–20.07.2024 के उपरांत प्रभार ग्रहण

16/01/2026

F \PC Data\Anil\Annuji\viniyaman 20-08-2025\District by\Gopalganj\Letter docx

किया गया है) विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :–

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम एव पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हुआ हो गया है, तो वेतन पुर्जा सख्या/निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF सख्या	उपस्थिति विवरणी	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० तरुण कुमार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवती बैकुण्ठपुर	दिनाक–19 03 2024 से 21 07 2024 तक 125 दिन	शून्य	29102425054844	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि मे उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–16/एम.1–85/2025 – 106 – (आ0चि0)/पटना, दिनांक–19.01.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, गोपालगज/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोपालगंज/संबंधित सभी नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/01/2026

सरकार के अवर सचिव